

ई मेल

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-विविध 80-14/2020 2447
प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-30.6.21

विषय :- EVM की प्राप्ति हेतु जिलों को निधि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

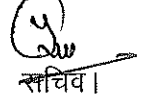
निदेशानुसार कहना है कि बिहार में पंचायत आम निर्वाचन-2021 का आयोजन हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को लोन पर M2 EVM उपलब्ध कराया गया है, जो विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग/विनिर्माता BEL एवं ECIL के नियंत्रणाधीन एवं संबंधित राज्य के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी के अभिरक्षाधीन है। आवंटित EVM को देश के विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न जिलों से प्राप्त कर लाने में आने वाले सभी खर्चों यथा परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग, संबद्ध पदाधिकारियों के TA-DA अन्य खर्च आदि, का वहन बिहार राज्य को करना है।

EVM की प्राप्ति हेतु राज्य के सभी जिलों की टैगिंग की जा चुकी है। जिसके आलोक में कतिपय जिलों द्वारा इन EVM की प्राप्ति हेतु निधि की मांग की जा रही है।

अतएव अनुरोध है कि राज्य के सभी जिलों से EVM प्राप्ति में होनेवाले खर्च का आकलन प्राप्त कर शीघ्रातिशीघ्र निधि उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ज्ञातव्य हो कि राज्य के जिलों को सभी EVM दिनांक -15.07.2021 तक प्राप्त कर अपने-अपने जिलों में लाना है।

विश्वासभाजन


सचिव।

ज्ञाप संख्या- विविध 80-14/2020 2447

पटना, दिनांक-30.6.21

प्रतिलिपि-सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब EVM प्राप्ति में होने वाले खर्च का आकलन कर पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यक निधि प्राप्त की जाए।

2. EVM की प्राप्ति हेतु जानेवाले दल के साथ आवश्यक नकदी राशि अवश्य भेजी जाए ताकि EVM प्राप्ति में होने वाले फुटकर खर्च की पूर्ति की जा सके।

3. EVM प्राप्ति के लिए जाने वाले दलों की विवरणी, रूट चार्ट, दिन, समय आदि का संपूर्ण विवरण संबंधित नोडल पदाधिकारी को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए तथा इसकी एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध करायी जाये।


सचिव।